following important projects are under implementation in Paradip Port;

(i) Construction of a Multi-purpose Cargo Berth at an estimated cost of Rs. 26.36 crores sanctioned by the Government on 13.8.1992.

(ii) Creation of mechanised coal handling facility at an estimated cost of Rs. 587.41 crores sanctioned by the Government on 23.4.1993.

हिन्दी समिति का प्रतिवेदन

1542. **श्री दिग्विजय सिंह:**
श्री अनन्तराम जायसवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 1995 के हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान" में "हिन्दी समिति 20 साल बाद भी अंतिम रिपोर्ट नहीं दे पाई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार हिन्दी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करेगी यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को कब तक समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद): (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पूर्णत: तथ्यों पर आधारित नहीं है। वास्तविकता यह है कि राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं की व्यापकता को देखते हुए तथा व्यवहारिकताओं को ध्यान में रखते हुए समिति ने जून, 1985 और सितम्बर, 1986 में हुई अपनी बैठकों में यह निर्णय लिया था कि राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन एक साथ प्रस्तुत करने के बजाए उसे विभिन्न खंडों में प्रस्तुत किया जाए और इसके प्रत्येक खंड का संबंध राजभाषा नीति व उसके कार्यान्वयन के पहलू विशेष से हो। तदनुसार समिति अब तक अपने प्रतिवेदन के पांच खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है। प्रतिवेदन के प्रथम चार खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश भी जारी हो चुके हैं। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों को समय-समय पर आदेश/निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस समय समिति के प्रतिवेदन के छठे और अंतिम खंड की तैयारी का कार्य चल रहा है जिसे मार्च, 1996 तक राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। छठे खंड में समिति द्वारा विदेशों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा के संबंध में भी एक अध्याय लिखा जाना प्रस्तावित है। इसलिए समिति ने हाल ही में कुछ देशों में भारतीय राजदूतावासों/मिशनों व भारत सरकार के अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर.) द्वारा विदेशों में खोले गए सांस्कृतिक केन्द्र

1543. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन देशों में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा सांस्कृतिक केन्द्र खोले गए हैं और आगामी दो वर्षों में किन-किन देशों में ऐसे केन्द्र खोले जाने का विचार है; और

(ख) वे कौन-कौन से देश या राजदूतावास हैं जिन्होंने अपने यहां सांस्कृतिक केन्द्र खोलने हेतु भारत सरकार से निवेदन किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा खोले गए सांस्कृतिक केन्द्र इस समय मिस्र (काहिरा), जर्मनी (बर्लिन), गयाना (जार्जटाउन), इंडोनेशिया (जकार्ता), कजाकस्तान (अल्माती), मारीशस (पोर्ट लुई), रूस (मास्को), दक्षिण अफ्रीका (जोहन्सबर्ग और डरबन), उजबेकिस्तान (ताशकन्द), यू.के. (लन्दन) में कार्य कर रहे हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के शासी-निकाय ने त्रिनिडाड और टोबेगो में एक सांस्कृतिक केन्द्र खोलने का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) सांस्कृतिक केन्द्र खोलने के संबंध में प्रस्ताव अमरीका तथा श्रीलंका में स्थित भारतीय मिशनों से प्राप्त हुए हैं।

सीमा विवाद के संबंध में भारत-बांग्लादेश वार्ता

1544. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:**
श्री दिग्विजय सिंह:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेश राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल के बीच जून के अंतिम सप्ताह में भीषण फायरिंग हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा क्या भारत ने इस संबंध में बांग्लादेश सरकार से कोई बातचीत

की, यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) 25 जून, 1995 को दक्षिण त्रिपुरा में बेलोनिया में भारत-बंगलादेश सीमा के पार बंगलादेश राइफल ने मुहरी नदी के किनारे पर मरम्मत कार्य में लगे भारतीय अधिकारियों और श्रमिकों पर बिना किसी कारण गोली चलाई। इस घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ था। 27 जून, 1995 को बेलोनिया में हमारे सीमा सुरक्षा बल तथा बंगलादेश राइफल के बीच कमांडेंट स्तर पर एक 'फ्लैग' बैठक हुई थी। बंगलादेश राइफिल ने मुहरी तट पर चल रहे मरम्मत कार्य को बाधा न पहुंचाने के सम्बन्ध में लिखित में दिया था। 3 जुलाई 1995 से उक्त कार्य पुनः आरंभ कर दिया गया है।

Electrification of railway stations in Gujarat

1545. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what are the details of railways stations in Gujarat where electrification work has been in progress during 1993-94 and 1994-95 till date;

(b) what are the details of the amount spent on this work during the above period; and

(c) by when this work is likely to be completed?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) and (b) The names of the railways stations in Gujarat where electrification work has been in progress and the amount spent during 1993-94, 1994-95 and till date in 1995-96 are as under:—

(i) Stations where work has been in progress during the year 1993-94.

Sl.No.	Name of the stations	(in Rs.) Amount spent
1.	Virochen Nagar	3,36,562
2.	Dhamarda	61,030
3.	Mitha	1,42,000
4.	Bhutakia Bhimsar	1,46,000
5.	Piprala	1,34,000
6.	Kanakot	91,419
7.	Kiyal Sedhavi	1,11,275
8.	Ramaparda	1,97,415
9.	Chandarwa	46,098
10.	Rayaka	
11.	Aditpara	2,65,000
12.	Vijapadi Road	
13.	Chamraj	1,99,691

(ii) Stations where work has been in progress during the year 1994-95.

Sl. No.	Name of the stations	Amount spent (in Rs.)
1.	Jaliya	89,074
2.	Barwala Road	2,45,615
3.	Pudgam Ganeshpura	2,23,692
4.	Pipleo	1,23,000
5.	Lorwada	1,25,000
6.	Hansapore	1,70,000

(iii) Stations where work has been in progress in 1995-96.

Sl. No.	Name of the station	Amount spent (in Rs.)
1.	Chhatral	1,42,932

(c) Electrification work at all the above stations has since been completed.

एम.टी.एन.एल. के कार्यकरण की समीक्षा

1546. श्री ईश दत्त यादव: श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. निदेशक मंडल ने दिल्ली टेलीफोन के कार्यकरण विशेषकर उसके प्रशासन तथा सतर्कता विभागों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा के क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) सरकार ने परिणामों के आधार पर क्या कार्रवाई की है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (ग) यह कार्यपालक के स्तर का कार्य है तथा महानगर टेलीफोन निगम लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियमित रूप से दिल्ली टेलीफोन्स के कार्यकरण की समीक्षा करते हैं। ऐसे किसी भी मामले, जिसमें बोर्ड का ध्यान आकृष्ट किया जाना अपेक्षित हो या ऐसा नीतिगत मामला जिसके